

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 128/2023

उनवान

1. धनराज,
2. जगदीश,
3. सांवरलाल पुत्र भंवरलाल समस्त जाति माली निवासीगण रामसर तहसील नसीराबाद
— वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जैन

बनाम

1. इन्दरचन्द,
2. कैलाश पुत्र लादू
3. गोमा पत्नि कालु,
4. ज्ञाना,
5. जाना पुत्री लादू
6. टीना पुत्री सांवरा जाति माली जरिये माता सुमित्रा पत्नि सांवरा,
7. नरेन्द्र पुत्र सांवरा जरिये माता सुमित्रा पत्नि सांवरा,
8. पुखराज पुत्र लादू
9. मनफुल पुत्री हरदेव,
10. महेन्द्र,
11. राजु पुत्र लादू
12. राधा पत्नी छीतर,
13. लाडी पत्नि लादू
14. सुमित्रा पत्नि सांवरा समस्त निवासीगण रामसर तहसील नसीराबाद,
15. बैक आफ बडौदा शाखा रामसर तहसील नसीराबाद,
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 1 से 15 अनुपस्थित
16 जरियें राज0 पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955



—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

//2//

-: निर्णय :-

दिनांक :- 29/5/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खाता संख्या 1806/1914 के हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.51, 887 रकबा 1.97 की आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का अलग-अलग हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नहीं हुआ है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 प्रकरण में अनपुस्थित रहे।


अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कारण जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गयी। अधिवक्ता वादी ने वादी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते हैं। वादीगण विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम रामसर के खाता संख्या 1806/1914 के हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.51, 887 रकबा 1.97 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इक्त्वाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

धनराज बनाम इन्दरचन्द


दावा बावत :- 53, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 128/2023

पेश करने की दिनांक - 03.08.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम रामसर के खाता संख्या 1806/1914 के हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.51, 887 रकबा 1.97 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २९ माह ५ सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बावत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बावत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद